

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2013—आषाढ़ 13, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. एफ. 46-4-2013-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व परामर्श से कक्षा नौ से बारह तक प्रत्येक के लिए विहित विशिष्ट हिन्दी की एवं कक्षा ग्यारह तथा बारह की विशिष्ट अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सत्र 2013-14 में भगवद् गीता में प्रगणित प्रसंगों पर आधारित एक-एक अध्याय जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करती है.

यह आदेश इस विषय में आगामी आदेश होने तक प्रभावी होगा.

ORDER

No. F. 46-4-2013-XX-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathmik, Middle School Tatha Madhyamik Shiksha (Pathya Pustakon Sambandhi Vyavsatha) Adhinyam, 1973 (No. 13 of 1973), the State Government after prior consultation with the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, permits to add one chapter each based on incidents enumerated in Bhagwat Gita in the Textbooks of Special Hindi prescribed to Class IX to XII and Special English in Class XI and XII for the Academic Session 2013-14.

This order shall be effective till the further orders in this regards.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

579

आर. के. चौकसे, उपसचिव.